संख्या–पी–145 / 14–2–2016–800(141) / 2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 26 सितम्बर 2016**

विषयः– बिजनौर–नूरपुर–छजलैट मार्ग (एस0एच0–76) किमी0 6.725 से 42.725 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 27.23 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1249 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–503 / बिजनौर / 20898 / 2016 / यू0पी0–169, दिनांक–08–9–2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बिजनौर–नूरपुर–छजलैट मार्ग (एस0एच0–76) किमी0 6.725 से 42.725 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 27.23 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1249 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2– अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण)अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या–पी–141(1) / 14–2–2016–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
3– जिलाधिकारी, बिजनौर।
4– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।
5– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बिजनौर।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।